फैक्स/ईमेल

संख्या–1601 /एक–1–2020–रा0–1

प्रेशक,

महेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त
मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉकः 31 दिसम्बर, 2020

विषयः– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8 सन् 2012) की धारा–233 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 विषयक राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1560/एक–1–2020–रा0–1, दिनांक 29.12.2020 निर्गत की गयी है।

2. इस संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 विषयक राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1560/एक–1–2020–रा0–1, दिनांक 29.12.2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 29.12.2020 में वर्णित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–1

संख्या–1560/एक–1–2020–रा0–1

लखनऊः दिनांकः 24 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 233 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:–

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली 2020 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 16 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016, जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नियम 16 में उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

(7) राजस्व ग्रामों की सीमाओं का निर्धारण एवं सीमांकन हेतु ग्राम सीमा स्तम्भों का निर्माण और उनकी स्थापना, समय–समय पर जारी परिषद के आदेशों के अनुसार की जायेगी। राजस्व ग्राम सीमा के अनुरक्षण एवं रख–रखाव के लिये सम्बन्धित ग्राम पंचायत उत्तरदायी होगा और इस प्रयोजन हेतु ग्राम निधि अथवा समेकित ग्राम निधि में उपलब्ध निधियों का प्रयोग किया जा सकेगा।

(8) किसी राजस्व ग्राम के विभिन्न गाटों/भूखण्डों के सीमांकन हेतु उनकी मेड़बंदी और गाटा स्तम्भों का निर्माण तथा उनकी स्थापना समय–समय पर जारी परिषद के आदेशों के अनुसार की जाएगी। गाटा स्तम्भों के निर्माण और गाटे की मेड़बंदी पर व्यय का वहन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो संहिता की धारा 24 के अधीन सीमांकन वाद दायर किया हो।

(9) ग्रामों की सीमा पर स्थित सभी ग्राम सीमा स्तम्भों के अनन्य कोड का अवधारण करने और उनके अक्षांश व देशान्तर का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :–

(क) सीमा स्तम्भ दो, तीन अथवा चार ग्रामों की सीमा पर स्थित हो सकता है। सर्वप्रथम आसन्नवर्ती (Adjacent) ग्रामों, जिनकी सीमा पर सीमा स्तम्भ अवस्थित हैं, में से सबसे कम ग्राम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम का कोड (6 अंक) लिखा जायेगा। इसके पश्चात् सीमा स्तम्भ के आसन्नवर्ती दूसरे राजस्व ग्राम का ग्राम कोड (6 अंक) लिखा जायेगा,

जिसका कोड प्रथम ग्राम के कोड से अधिक किन्तु तृतीय ग्राम, यदि कोई हो, के कोड से कम हो। इसके पश्चात् उक्त दोनों राजस्व ग्रामों में से न्यूनतम ग्राम कोड संख्या वाले ग्राम के कम अंक वाले गाटा संख्या (5 अंक), जिसकी सीमा पर स्तम्भ स्थित हो, उसका नम्बर लिया जायेगा। सबसे अन्त में सीमा स्तम्भ का क्रमांक (2 अंक) लिखा जायेगा। इस प्रकार उस सीमा स्तम्भ का 19 अंक का अनन्य कोड बन जायेगा।

इसी प्रकार अगले स्तम्भ में अनन्य कोड का अवधारण करने के लिये न्यूनतम ग्राम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम के कोड और अगले गाटा संख्या, जिसमें अगला स्तम्भ स्थित हो, का प्रयोग उसी रीति से किया जायेगा जैसा कि उपरोक्तानुसार उल्लिखित है।

(ख) किसी ग्राम के सभी स्तम्भों में कोड अवधारण को पूरा किये जाने के पश्चात् अन्य ग्रामों में पुनः उसी प्रकिया का अनुसरण किया जायेगा। अगले ग्राम के जिन स्तम्भों की कोडिंग, कम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम के साथ हो चुकी हो,उनको छोड़ते हुए अन्य स्तम्भों को पुनः 01 से संख्या प्रदान करते हुए कोडिंग की जायेगी।

(ग) ऐसे किसी ग्राम, जिसकी सीमा उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, बिहार, झारखण्ड, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा नेपाल देश से मिलती है, के सीमा स्तम्भों की कोडिंग करते समय ऐसी सीमा पर अवस्थित प्रथम ग्राम के रूप में उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित ग्राम का जनगणना कोड लिया जायेगा जबकि सम्बन्धित राज्य के द्वितीय ग्राम कोड के लिये 06 अंक के ग्राम कोड निम्नवत् लिये जायेगें :–

1– नेपाल	NEPAL0
2– उत्तराखण्ड	UKD000
3– हिमाचल प्रदेश	HIMP00
4– हरियाणा	HR0000
5– दिल्ली	DELHI0
6– राजस्थान	RAJ000
7– मध्यप्रदेश	MP0000
8– छत्तीसगढ	CHH000
9– झारखण्ड	JHAR00
10– बिहार	BIHAR0

(घ)– ग्रामों की सीमाओं पर स्थित सीमा स्तम्भों की कोडिंग के पश्चात् उनके अक्षांश एवं देशान्तर निर्धारित किये जायेंगे, जिससे सीमा स्तम्भों के गायब या नष्ट हो जाने पर उनको उसी स्थान पर पुर्नस्थापित किया जा सके।

नियम 22 का संशोधन

3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) संहिता की धारा 24(1) के अन्तर्गत सीमा विवादों के निपटारे के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी को दिया जायेगा और उसमें निम्नलिखित विवरण अंकित होंगे– ..... (क) पक्षकारों का नाम, पिता का नाम व पता: (ख) अवस्थिति के साथ भूखण्ड संख्या, क्षेत्रफल तथा भूमि की सीमाएं (ग) विवाद का संक्षिप्त विवरण: प्रार्थना पत्र के साथ नक्शे, खसरा व खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि (जिसके आधार पर सीमांकन किया जाना है) का होना आवश्यक है। (2) संहिता की धारा 24(1) के अन्तर्गत सीमाओं के निर्धारण का कोई प्रार्थना पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके साथ मानचित्र, खसरा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) जिसके आधार पर सीमांकन की मांग की गयी है को संलग्न नहीं किया गया हो और प्रार्थी की प्रति सर्वे संख्या के लिये रू0 1000/– की दर से आगणित अपेक्षित रकम सीमांकन के शुल्क के रूप में प्रार्थी द्वारा अदा नहीं कर दी गयी हो। (3) यदि प्रार्थना पत्र दो या दो से अधिक संलग्न भूखण्डों के सीमांकन के लिये है, तो सीमांकन शुल्क का एक ही सेट देय होगा लेकिन जहां पर सीमांकन की मांग किये जाने वाले सर्वे भूखण्ड संलग्न नहीं हैं वहां पर अलग–अलग सीमांकन शुल्क देय होगा। (4) प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने पर सम्बन्धित कर्मचारी प्रार्थना पत्र में यह जांच करेगा कि क्या अपेक्षाओं को पूर्ण किया गया है अथवा नहीं।	(1) संहिता की धारा 24(1) के अधीन खातेदार एक या एक से अधिक समीपस्थ गाटों के लिए सीमा विवाद निस्तारण के लिये आवेदन पत्र दो प्रतियों में उपजिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी:– (क) गाटा का विवरण– गाटा संख्या, खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम/तहसील का नाम। यदि एक से अधिक खातेदार हैं, तो सभी की विशिष्टियां उल्लिखित की जायेंगी; चालू अद्यतन कृत खतौनी भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। (ख) समीपस्थ गाटों का विवरण–गाटा संख्या, खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम/तहसील का नाम। यदि एक से अधिक खातेदार हों, तो सभी की विशिष्टियां उल्लिखित की जायेंगी। चालू अद्यतन कृत खतौनी भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। (2) यदि खतौनी में खाता अलग है, किन्तु भू–चित्र में उप विभाजन नहीं है, तो भू–चित्र में उप विभाजन कराया जाना आवश्यक होगा। (3) यदि सीमांकित किये जाने वाले गाटा/गाटों से ग्राम पंचायत/राज्य सरकार की किसी सम्पत्ति की सीमा संलग्न है, तो अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति/ग्राम प्रधान और राज्य सरकार को तत्सम्बन्ध में पक्षकार बनाया जायेगा। (4) समीपस्थ गाटों की सीमा के सीमांकन हेतु आवेदन किये जाने पर बाहरी सीमा का ही सीमांकन किया जायेगा। (5) आवेदक को गाटा/सम्बद्ध गाटों के सीमांकन हेतु राजकीय कोषागार में 1000/ की फीस जमा करनी होगी। आवेदन पत्र के साथ चालान, रसीद

यदि कोई औपचारिक प्रकृति की कमी है तो प्रार्थी अथवा उसके अधिवक्ता को तुरन्त उस कमी को दूर करने की इजाजत दी जायेगी लेकिन जहां पर प्रार्थना पत्र की अपेक्षायें पूर्ण नहीं की गयी है, वहां पर अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिये मांगा गया अवसर दिया जायेगा।

(5) जैसे ही अपेक्षायें पूर्ण कर दी जाती हैं सम्बन्धित कर्मचारी प्रार्थना पत्र को सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसे समुचित आदेश के लिये उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(6) उपजिलाधिकारी उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर आदेश पारित करेगा और राजस्व निरीक्षक अथवा अन्य राजस्व अधिकारी को यह निदेश देगा कि तिथि नियत करने के बाद और सभी सम्बन्धित खातेदारों पर उसके सम्बन्ध में नोटिस तामील करने के बाद भूखण्ड या भूखण्डों, जैसी भी स्थिति हो, का सीमांकन करेगा। यह कार्य उपजिलाधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

(7) इस नियम के उपनियम (6) के अन्तर्गत नोटिस सम्बन्धित खातेदार पर और उसकी अनुपस्थिति में उसके वयस्क पारिवारिक सदस्य पर तामील की जायेगी। वह नोटिस भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्षा पर भी तामील की जायेगी।

(8) भूखण्ड का सीमांकन करते समय राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा स्थल ज्ञाप तैयार किया जायेगा और उस पर सभी सम्बन्धित पक्षकारों एवं भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष अथवा सीमांकन के समय उपस्थित किन्हीं दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। यदि कोई पक्ष स्थल शाप पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त आशय का पृष्ठांकन किया जायेगा।

(9) राजस्व निरीक्षक अथवा अन्य राजस्व अधिकारी सीमांकन के दिनांक से पन्द्रह की प्रतिलिपि भी संलग्न की जायेगी।

(6) सीमांकन हेतु आवेदन प्राप्त किये जाने पर उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर उपजिला अधिकारी, राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आर0सी0सी0एम0एस0) पर वाद दर्ज करेगा। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से नोटिस की तीन प्रतियां जारी की जायेंगी और तहसीलदार के माध्यम से राजस्व निरीक्षक को प्रदत्त की जायेंगी।

(7) राजस्व निरीक्षक, लेखपाल या अन्य किसी माध्यम से उपनियम (1) में यथा उल्लिखित सम्बन्धित खातेदार/खातेदारों को नोटिस तामील करेगा। खातेदारों की अनुपस्थिति में नोटिस, खातेदार/खातेदारों के वयस्क पारिवारिक सदस्य को तामील की जायेगी। सीमांकन की सूचना, भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को भी प्रदान की जायेगी।

(8) यदि राजस्व निरीक्षक सूचना भेजते समय या स्थलीय सीमांकन से पूर्व किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को तत्सम्बन्ध में पक्षकार बनाना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है।

(9) राजस्व निरीक्षक अथवा कोई अन्य राजस्व पदाधिकारी सीमांकन हेतु दिनांक नियत करने के पश्चात् और सभी सम्बन्धित खातेदारों को सूचित करने के पश्चात् यथास्थिति भूखण्ड या भूखण्डों, का सीमांकन करेगा। सीमांकन करते समय यदि कोई प्रभावित खातेदार तत्सम्बन्ध में पक्षकार न हो तो ऐसा खातेदार राजस्व निरीक्षक द्वारा तत्सम्बन्ध में स्थलीय पक्षकार बनायेगा तथा वह अपनी सीमांकन आख्या में इसका उल्लेख करेगा। सीमांकन उपजिलाधिकारी द्वारा तत्निमित्त कृत आदेश के दिनांक से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(10) राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व पदाधिकारी स्थल ज्ञाप सहित सीमांकन आख्या तैयार करेंगे। यदि तत्निमित्त कोई आपत्तियां न हों, तो सीमांकन आख्या पर सभी संबंधित पक्षकारों की सहमति तथा हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात् उसे तहसीलदार के माध्यम से उपजिलाधिकारी को एक सप्ताह में प्रेषित

दिनों की अवधि के अन्दर स्थल शाप सहित अपनी सीमांकन आख्या प्रेषित करेगा। आख्या में प्रत्येक प्रभावित पक्षकार का नाम और पता दिया जायेगा।

(10) उपनियम (9) के अन्तर्गत आख्या प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर आख्या पर आक्षेप आमंत्रित करते हुये सभी प्रभावित पक्षों को नोटिसें जारी की जायेंगी और तिथि नियत की जायेगी जो कि नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के बाद की नहीं होगी।

(11) नियत दिनांक पर अथवा उस दिनांक पर जिसके लिये सुनवाई स्थगित की गयी हो, उपजिलाधिकारी संहिता की धारा 24 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार सीमाओं के सम्बन्ध में विवाद को तय करेगा और आख्या के विरूद्ध दाखिल की गयी आपत्तियों, यदि कोई हों, एवं आख्या पर विचार करने तथा सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद समुचित आदेश पारित करेगा।

(12) यदि उपजिलाधिकारी द्वारा आख्या की पुष्टि कर दी जाती है तो एक सप्ताह की अवधि के अन्दर तद्नुसार सीमा स्तम्भ नियत किये जायेंगे और उसके सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की जायेगी जो कि अभिलेख का भाग होगी।

(13) जहां पर भूखण्ड/सर्वे संख्याओं की सीमायें दरियाबुर्द अथवा दरियाबरार अथवा भारी वर्षा या किन्हीं अन्य कारणों से शिनाख्त योग्य नहीं है अथवा क्षतिग्रस्त हो गयी है, वहां पर उपजिलाधिकारी उस ग्राम के ग्राम राजस्व समिति के अध्यक्ष के आवेदन पर अथवा राजस्व निरीक्षक या हलके के लेखपाल की आख्या पर अथवा सभी सम्बन्धित खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त प्रार्थना पत्र पर, लिखित रूप से सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक अथवा सम्बन्धित लेखपाल को निर्देशित करेगा कि वह वर्तमान सर्वे मानचित्र के आधार पर अथवा जहां पर यह सम्भव न हो, वहां पर कब्जे के आधार पर स्थल पर सीमाओं को चिन्हित करे और यदि कोई शिकायत है तो राजस्व ग्राम कर दिया जायेगा। राजस्व निरीक्षक की पूर्वोक्त आख्या प्राप्त करने पर उपजिलाधिकारी सीमांकन आख्या की पुष्टि करते हुए आदेश पारित करेगा।

(11) यदि सीमांकन से प्रभावित पक्षकारों ने सीमांकन पर अपनी सहमति न दी हो अथवा यदि सीमांकन आख्या में कोई आपत्ति हो, तो उपजिलाधिकारी द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई का दिनांक नियत करते हुए नोटिस (नोटिसें) जारी की जायेगी/की जायेंगी जो नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के बाद की नहीं होगी।

(12) उपजिलाधिकारी समस्त सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् सीमा का सीमांकन करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करेगा। राजस्व निरीक्षक को आदेश किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करना होगा और उप जिलाधिकारी को अपनी आख्या प्रस्तुत करनी होगी।

(13) जहाँ पर गाटा/सर्वे संख्या की सीमा, भूमि के जलोढ़ या आप्लाव अथवा भारी वर्षा के कारण या किन्हीं, अन्य कारण से हुई क्षति के कारण शिनाख्त योग्य न हो, वहां पर उस ग्राम के ग्राम राजस्व समिति के अध्यक्ष के आवेदन पर अथवा राजस्व निरीक्षक या लेखपाल की आख्या पर अथवा सभी सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त आवेदन पत्र पर, उपजिलाधिकारी लिखित रूप से सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक अथवा लेखपाल को अनुदेश देगा कि वह वर्तमान सर्वे मानचित्र के आधार पर अथवा जहाँ पर सम्भव हो, कब्जा के आधार पर स्थल पर सीमा का सीमांकन करे और यदि कोई शिकायत हो तो राजस्व ग्राम समिति के परामर्श से पारस्परिक सहमति के आधार पर उसका समाधान करे। राजस्व निरीक्षक या लेखपाल को आदेश किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करना होगा और अपनी आख्या उप–जिलाधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

(14) उपनियम (10), (13) या (14) के अधीन सीमांकन के लिये आदेश पारित करते समय उपजिलाधिकारी सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष को

समिति के परामर्श से सुलह के आधार पर उसका समाधान करे। राजस्व निरीक्षक या लेखपाल ऐसे आदेश का पालन, आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के अन्दर करेगा और उसकी आख्या उपजिलाधिकारी को प्रेषित करेगा। (14) यदि कोई पक्षकार इस नियम के उपनियम (13) के अन्तर्गत सीमांकन से क्षुब्ध है तो वह संहिता की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सीमाओं के निर्धारण के लिये प्रार्थना पत्र दे सकता है और उपनियम (13) के अन्तर्गत सीमांकन संहिता की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सीमांकन के अधीन होगा। (15) उपजिलाधिकारी संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत अथवा इस नियम के उपनियम (13) के अन्तर्गत सीमांकन के लिये आदेश पारित करते समय सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष को निर्देशित कर सकता है कि वह सीमांकन के समय स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराये। (16) उपजिलाधिकारी धारा 24(3) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय के अन्दर कार्यवाही को समाप्त करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्दर समाप्त नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।	निर्देशित कर सकता है कि वह सीमांकन के समय स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराये। (15) उप–जिलाधिकारी संहिता की धारा 24(3) में यथा उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगा और यदि प्रक्रिया ऐसे समय के भीतर पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

नियम 25 का संशोधन

4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये नियम 25 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	**स्तम्भ–2**
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नक्शा व क्षेत्रिक पंजी (खसरा) धारा–30(1):– कलेक्टर, प्रत्येक ग्राम के लिए एक क्षेत्रिक पंजी (खसरा) आर0सी0 **प्रपत्र–4** में तैयार तथा अनुरक्षित करायेगा तथा (खसरा संख्या या भू–खण्ड संख्या	**(1)** कलेक्टर, प्रत्येक ग्राम के लिए एक क्षेत्रिक पंजी (खसरा) आर0सी0 **प्रपत्र–4** में तैयार तथा अनुरक्षित करायेगा और (खसरा संख्याओं या गाटा संख्याओं की सीमाओं को दर्शाते हुए) एक मानचित्र जिसमें धारा 30 में निर्दिष्ट परिवर्तनों का

की सीमाओं को दर्शाने वाला) एक मानचित्र जिसमें धारा–30 के अन्तर्गत हुए संशोधनों का अंकन हो, रखेगा।	अंकन हो, रखेगा। (2) फसली वर्ष 1428 से पूर्व के वर्षों की क्षैत्रिक पंजी (खसरा) का रख–रखाव आर0सी0 प्रपत्र–4 में किया जाएगा तथा इसको समय–समय पर जारी शासनादेशों व परिषदादेशों के अनुसार अनुरक्षित व संरक्षित किया जाएगा। (3) जिन क्षेत्रों में यू.पी. जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 प्रवृत्त था, उन क्षेत्रों में फसली वर्ष 1428 व उसके बाद के क्षैत्रिक पंजी (खसरा) का रख–रखाव आर0सी0 **प्रपत्र–4क** में कम्प्यूटरीकृत (डिजिटल) स्वरूप में किया जाएगा। (4) फसली वर्ष की समाप्ति पर खसरा प्रविष्टियों को अपरिवर्तनीय बनाते (फ्रीज करते) हुए क्षैत्रिक पंजी (खसरे) की प्रति, पी0डी0एफ0 अथवा अन्य किसी अपरिवर्तनीय फार्मेट में परिषद स्तर पर राज्य डाटा केन्द्र अथवा शासकीय इलेक्ट्रानिक क्लाउड जैसे मेघराज आदि में शाश्वत रूप से संरक्षित की जाएगी तथा उसकी एक मुद्रित प्रति, अभिलेखार्थ तहसील स्तर पर 12 वर्ष तक के लिए संरक्षित की जायेगी। (5) **आर0सी0 प्रपत्र–4क** में प्रविष्टियां समय समय पर जारी शासनादेशों व परिषदादेशों के अनुसार कम्प्यूटरीकृत (डिजिटल) रूप में दर्ज की जायेंगी।

नियम 27 का संशोधन

5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये नियम 27 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उप–नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम**
(1) केलक्टर प्रत्येक ग्राम के लिए एक अधिकार अभिलेख (खतौनी) आर0सी0 प्रपत्र–7 में तैयार व अनुरक्षित करायेगा जिसमें होगा– (क) उक्त धारा के उपबन्ध (क) से (घ) में विहित विवरण;	(1) कलेक्टर प्रत्येक ग्राम के लिए एक अधिकार अभिलेख (खतौनी) आर0सी0 प्रपत्र–7 या आर0सी0 प्रपत्र–7क में तैयार व अनुरक्षित करायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे:– (क) उक्त धारा के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट

(ख) धारा 83 में संदर्भित घोषणा व निरसन का विवरण; (ग) ऐसा अन्य विवरण जैसा कि परिषद द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जाये।	विशिष्टियां, (ख) धारा 83 में निर्दिष्ट घोषणा व रद्दकरण का विवरण; (ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसा कि परिषद द्वारा समय–समय पर निदेशित की जायं।

नियम 31 का संशोधन

6. उक्त नियमावली में, नियम 31 में, उप–नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

(6). राजस्व निरीक्षक द्वारा अविवादित वरासत को दर्ज किये जाने हेतु नामांतरण हेतु आवेदन और उसका निस्तारण करने की कार्यवाहियां समय–समय पर परिषद द्वारा जारी निदेशों के अनुसार ऑनलाइन की जायेंगी।

(7). राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किये जाने वाले समस्त आदेशों को राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0 सी0एम0एस0) में भी अभिलिखित किया जाएगा। राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश को प्रभारी राजस्व निरीक्षक–कार्यालय द्वारा कम्प्यूटरीकृत खतौनी में तभी अभिलिखित किया जा सकेगा जब साफ्टवेयर द्वारा नामांतरण की स्वतः जनित आवेदन संख्या एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के दिनांक का उल्लेख आदेश में किया गया हो।

नियम 99 का संशोधन

7. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये नियम 99 के उप–नियम (8) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	**स्तम्भ–2**
विद्यमान उप–नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम**
(8) यदि **उपनियम (3)** के अन्तर्गत प्रेषित की गयी आख्या और आपत्ति, यदि कोई हो, प्राप्त करने के बाद कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि– **(क)** धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) की शर्तें पर्णू हैं; अथवा **(ख)** खातेदार अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य किसी घातक बीमारी से ग्रस्त है, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित बीमारी में विशेषज्ञ किसी फिजीशियन अथवा शल्य चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र	**(8)** यदि **उपनियम (5)** के अधीन प्रस्तुत की गयी आख्या और आपत्ति, यदि कोई हो, प्राप्त किये जाने के पश्चात् यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि– **(क)** धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) की शर्तें पूर्ण हैं; अथवा **(ख)** खातेदार अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य किसी घातक रोग से ग्रस्त है, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित रोग के विशेषज्ञ किसी चिकित्सक अथवा

जारी किया गया है, और ऐसी बीमारी के उपचार के लिये व्ययों को पूरा करने के लिये अन्तरण की अनुज्ञा आवश्यक है; अथवा	शल्य चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, और ऐसे रोग के उपचार के लिये व्ययों को पूरा करने के लिये अन्तरण की अनुज्ञा आवश्यक है; अथवा
(ग) आवेदक प्रस्तावित अन्तरण के प्रतिफल से किसी अन्य भूमि को क्रय करने के लिये ऐसे प्रस्तावित अन्तरण हेतु संहिता की धारा 98(1) के अन्तर्गत अनुज्ञा की माँग कर रहा है और आवेदन में इस सम्बन्ध में दिये गये तथ्य आवेदक के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार की सत्यापित प्रति से समर्थित हैं; अथवा	(ग) आवेदक ऐसे प्रस्तावित अन्तरण के प्रतिफल स्वरूप किसी अन्य भूमि का क्रय करने के लिये प्रस्तावित अन्तरण हेतु संहिता की धारा 98(1) के अधीन अनुज्ञा की माँग कर रहा है और आवेदन में इस सम्बन्ध में दिये गये तथ्य, आवेदक के पक्ष में विक्रय करने हेतु रजिस्ट्रीकृत करार की सत्यापित प्रति पर अवलम्बित हैं; अथवा
(घ) आवदेन के दिनांक पर आवदेक द्वारा धतृ भूमि का क्षत्रेफल, ऐसे अन्तरण के बाद, 1.26 हक्टेअर से कम नहीं होगा; और	**(घ)** आवेदन के दिनांक पर आवदेक द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल, ऐसे अन्तरण के पश्चात्, 1.26 हेक्टेयर से कम नहीं होगा; और
(ङ) यदि, जहां विक्रय द्वारा अन्तरण के लिये अनुज्ञा की मांग की जा रही है, भूमि के अन्तरण के लिये प्रतिफल कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं है; तो वह कारण अभिलिखित करते हुये अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा।	**(ङ)** यदि, विक्रय द्वारा अन्तरण के लिये अनुज्ञा की मांग की जा रही हो, और भूमि के अन्तरण के लिये प्रतिफल, कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित धनराशि से कम न हो; तो वह कारण अभिलिखित करते हुये अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा।
स्पष्टीकरण– सन्देह के निवारण के लिये एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस उपनियम के खण्ड (घ) में उल्लिखित शर्त पूर्ण नहीं है लेकिन इस उपनियम के खण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित कोई शर्त पूर्ण है तो कलेक्टर संहिता की धारा 98(1) के अन्तर्गत अनुज्ञा दे सकता है।	**स्पष्टीकरण**– सन्देह के निवारण के लिये एतदद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस उपनियम के खण्ड (घ) में संख्यांकित शर्त पूर्ण नहीं है किन्तु इस उपनियम के खण्ड (क) से (ग) में संख्यांकित कोई शर्त पूर्ण है तो कलेक्टर संहिता की धारा 98(1) के अधीन अनुज्ञा दे सकता है।

नियम 101 का संशोधन

8. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये नियम 101 के उप–नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उप–नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम**
(2) ऐसे सभी आवेदनों के साथ विनिमय में प्राप्त व	(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ विनिमय स्वरूप

दिये जाने वाले भूखण्डों की प्रमाणित खतौनी व भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ऐसे विनिमय के पक्ष में पारित किये गये प्रस्ताव की प्रति संलग्न की जायेगी।	प्रदत्त तथा प्राप्त, भूखण्डों से सम्बंधित खतौनी की प्रमाणित प्रतियां और भूमि प्रबन्धक समिति के ऐसे विनिमय के पक्ष में संकल्प अथवा कलेक्टर द्वारा अनुमोदित उप जिलाधिकारी के स्वप्रेरणा के संकल्प की प्रति संलग्न की जायेगी।

नियम 188 का संशोधन

9. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये नियम 188 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	**स्तम्भ–2**
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
जब इस संहिता के अधीन किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही के संबंध में उक्त संहिता या तदन्तर्गत बनी नियमावली या विनियमावली में अभिव्यक्त उपबन्ध बनाया गया है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या परिसीमा अधिनियम, 1963 में किसी बात के होते हुये भी, संहिता, नियमावली एवं विनियमावली के प्रावधान लागू होंगे।	**(1)** जहाँ संहिता के अधीन किसी वाद, आवेदन या कार्यवाहियों के संबंध में उक्त संहिता या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली में कोई सुस्पष्ट उपबन्ध किया गया हो वहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या परिसीमा अधिनियम, 1963 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, संहिता, इस नियमावली या विनियमावली के उपबंध लागू होंगे। **(2)** राजस्व संहिता 2006 के अधीन समस्त वाद परिषद द्वारा प्रबन्धकृत न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0 एम0एस0) के पोर्टल पर दर्ज किये जायेंगे। समस्त राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा जारी ऐसे स्वजनित बार कोडेड आदेश पत्रकों पर ही आदेश पारित करेंगे जिनमें वाद का पूर्ण विवरण अर्थात् न्यायालय का नाम, वाद संख्या कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या, पक्षकारों का नाम, धारा और अधिनियम, जिसके अधीन वाद दर्ज हो और प्रत्येक आदेश पत्रक के शीर्ष पर बार कोड अन्तर्विष्ट होगा। संबंधित पीठासीन अधिकारी/पेशकार/अहलमद/सहायक अपने यूजर आई.डी. और पासवर्ड के माध्यम से राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धक प्रणाली (आर0सी0सी0 एम0एस0) के पोर्टल पर लॉग–इन करके हाथ से कोई आदेश अभिलिखित करने हेतु रिक्त आदेश पत्रकों को भी मुद्रित करेगा। वाद के

	विवरणों के साथ कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या को भी आदेश पत्रक के शीर्ष पर बार कोड हेडर पर मुद्रित की जायेगी। (3) राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0 एम0एस0) द्वारा जारी स्वजनित बार कोडेड आदेश पत्रक से भिन्न सादे कागज पर किया गया कोई आदेश अविधिमान्य और अस्वीकार्य होगा। (4) परिषद, राजस्व न्यायालयों के डिजिटाइजेशन एवं कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया का अवधारण करते हुए संचालन के लिये सामान्य या विशिष्ट अनुदेश जारी कर सकती है।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

प्रपत्र–4 क का बढ़ाया जाना

11. उक्त नियमावली में, प्रपत्र–4 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र–4क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

आर सी0 प्रपत्र–4 क
(नियम 25 क देखें)
खसरा (क्षेत्रिक पंजी)

भाग–01–गाटे का विवरण– (स्तम्भ संख्या 01 से 05)

खसरा/गाटा संख्या	गाटे का यूनिक कोड	क्षेत्रफल (हे0)	खाता खतौनी संख्या	खतौनी के यथा भाग–2 में अंकित खातेदार का नाम
1	2	3	4	5

भाग–02–फसल व सिंचाई के साधन का विवरण– (स्तम्भ संख्या 06 से 20)–

खरीफ (2ख)					रबी (2र)					जायद (2जा)				
फसल	आच्छादित क्षेत्रफल	असिंचित क्षेत्रफल	सिंचित क्षेत्रफल	सिंचाई का साधन	फसल	आच्छादित क्षेत्रफल	असिंचित क्षेत्रफल	सिंचित क्षेत्रफल	सिंचाई का साधन	फसल	आच्छादित क्षेत्रफल	असिंचित क्षेत्रफल	सिंचित क्षेत्रफल	सिंचाई का साधन
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

भाग–03– दैवी आपदा व कृषि अवषिष्ट निस्तारण का विवरण – (स्तम्भ संख्या 21 से 26)

फसल	क्या दैवी आपदा में फसल को क्षति हुई है	दैवी आपदा का प्रकार	आपदा से प्रभावित क्षेत्रफल	क्षति का विवरण	कृषि अवशिष्ट निस्तारण (पराली/भूसा जलायी गयी अथवा नहीं)
21	22	23	24	25	26

भाग–04– वृक्षों का विवरण – (स्तम्भ संख्या 27 से 28) –

गार्टों में वृक्षों की प्रजाति	गार्टों में वृक्षों की संख्या
27	28

भाग–05– कृष्येतर भूमि का विवरण – **(स्तम्भ संख्या 29 से 34)**

स्तम्भ 29–क्या राजस्व संहिता, 2006 के अनुच्छेद 143 या 80 की घोषणा, भूधारक के सम्पूर्ण या किसी भाग के लिये स्पष्ट है– हाँ/नहीं				
कृष्येतर भू उपयोग का प्रकार	कृष्येतर उपयोग के अन्तर्गत क्षेत्रफल	कृष्येतर घोषित क्षेत्रफल	कृष्येतर घोषित करने का वाद/कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या	कृष्येतर घोषित करने के आदेश का दिनांक
30	31	32	33	34

भाग–06– पट्टा का विवरण– **(स्तम्भ संख्या 35 से 41)**

स्तम्भ 35– क्या भूमि अथवा किसी पट्टाकृत भूमि का भाग है– हाँ/नहीं					
पट्टे का प्रकार	क्षेत्रफल	पट्टा धारक का नाम	पट्टा धारक का पता	पट्टा प्रारम्भ होने की तिथि	पट्टा समाप्त होने की तिथि
36	37	38	39	40	41

भाग–07– दो फसली क्षेत्रफल और गैर फसली भूमि का विवरण – **(स्तम्भ संख्या 42 से 45)**

4 क–दो फसली क्षेत्रफल (भूमि जिसपर एक से अधिक फसलें बोयी गयी हो)		4 ख–गैर फसली (परती) भूमि (ऐसी भूमि जिसपर फसल नहीं बोयी गयी)	
असिंचित	सिंचित	भूमि का वर्ग	क्षेत्रफल हे0
42	43	44	45

भाग–08– विनिर्दिष्ट विवरण –**(स्तम्भ संख्या 46)**–

5–विनिर्दिष्ट विवरण
46

प्रपत्र–7 क का बढ़ाया जाना

12. उक्त नियमावली में, प्रपत्र–7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र–7क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

आर0सी0 प्रपत्र 7–क
(नियम 27 देखें)
खतौनी (अधिकार अभिलेख)

जिला.....तहसील..... विकास खण्ड/स्थानीय निकाय..... थाना :..... परगना :..... राजस्व ग्राम :.....राजस्व ग्राम कोड :.....फसली वर्ष :.....

खातेदार की श्रेणी :– श्रेणी कोड– विवरण :–

खतौनी खाता सं0	खातेदार का विवरण			भूमि का विवरण					नामान्तरण/खातेदार की श्रेणी परिवर्तन का विवरण							अन्य विवरण		
	नाम/पिता–पति–संरक्षक–प्रबंधक का नाम/जाति कोड/आधार संख्या (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन संख्या (8–9 स्थान के अंक)/पता/जन्म दिनांक (अवयस्क हेतु)	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		खाते के प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या/अनन्य कोड	गाटे का कुल क्षेत्रफल	खातेदार का अंश		खातेदार द्वारा देय भू–राजस्व	खारिज किया गया नाम				दर्ज किया गया नाम			भूमि के सम्बन्ध में विवादाधीन राजस्व वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या	बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/आई.एफ.एस.सी. कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि)	टिप्पणी
		न्यायालय का नाम/कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या/आदेश का दिनांक/जोत का आधार	वर्ष			हिस्से में	क्षेत्रफल में		न्यायालय का नाम/कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या/आदेश का दिनांक/नामान्तरण का आधार	नाम/पिता–पति–संरक्षक–प्रबंधक का नाम/जाति कोड/आधार संख्या (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन संख्या (8–9 स्थान के अंक)/पता/जन्म दिनांक (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर/यूनीक कोड	क्षेत्रफल	नाम/पिता–पति–संरक्षक–प्रबंधक का नाम/जाति कोड/आधार संख्या (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन संख्या (8–9 स्थान के अंक)/पता/जन्म दिनांक (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा संख्या/अनन्य कोड	क्षेत्रफल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19